



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत दिनांक 24.02.2023

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 167/2023 धारा 380 भादवि का सफल अनावरण करते हुए 03 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से चोरी किये हुए एक पाईप कटिंग मशीन, एक हैंड ग्राइंडर, एक शीट कटिंग मशीन, एक बोल्ट कटिंग मशीन, एक सेट रिबार कप्लर, एक लोहे का हथोड़ा, 02 बिजली के बोर्ड, 03 वल्लिंग लीड, 05 चाबी पाना, 07 चेन कप्लींग, नट बोल्ट (करीब 30 किलो), 49 पुली बुश बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 21.02.2023 को जावेद खान पुत्र अब्दुल कय्यूम निवासी शाहपुर बडोली थाना बडौत ने लिखित तहरीर दी कि अज्ञात अभियुक्तों द्वारा उसकी फैक्ट्री से पाईप कटिंग मशीन, हैंड ग्राइन्डर, 3 वेल्डिंग लिड, 5 सेट चाबी पाना, बोल्ट कटिंग मशीन, 2 बिजली के बोर्ड, एक शीट कटिंग मशीन, 12 सेट रिबार कपलर, 50 पीस



पुली बुश, 10 सेट चेन कप्लीग, पेन्टगन , 30 किलो के करीब नट बोल्ट, लोहे के हथोडे आदि चोरी कर लिये है । इस संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 167/2023 धारा 380 भादवि पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 167/2023 धारा 380 भादवि में वांछित 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से चोरी किये हुए एक पाईप कटिंग मशीन, एक हैंड ग्राइंडर,

एक शीट कटिंग मशीन, एक बोल्ट कटिंग मशीन, एक सेट रिबार कप्लर, एक लोहे का हथोड़ा, 02 बिजली के बोर्ड, 03 वल्लिंग लीड, 05 चाबी पाना, 07 चेन कप्लींग, नट बोल्ट (करीब 30 किलो), 49 पुली बुश बरामद हुए हैं।

उपरोक्त बरामदगी के आधार पर धारा 411 की वृद्धि कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1-आमीर पुत्र मोबीन निवासी मौ0 केतीपुरा कस्बा बागपत थाना कोतवली बागपत जनपद बागपत।

2-प्रवेज पुत्र रहीश निवासी मौ0 मुगलपुरा फूसवाली मस्जिद कस्बा बागपत थाना कोतवली बागपत जनपद बागपत।

3-फुरकान पुत्र उसमान निवासी ग्राम निवाड़ा थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- एक पाईप कटिंग मशीन।
- एक हेंड ग्राइंडर।
- एक शीट कटिंग मशीन।
- एक बोल्ट कटिंग मशीन।
- एक सेट रिबार कप्लर।
- एक लोहे का हथोड़ा।
- 02 बिजली के बोर्ड।
- 03 वल्लिंग लीड।
- 05 चाबी पाना।
- 07 चेन कप्लींग।
- नट बोल्ट (करीब 30 किलो)।
- 49 पुली बुश।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 ओमसिंह थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

2-है0का0 508 मंजीत सिंह थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

3-है0का0 12 सत्यवीर सिंह थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

4-का0 179 सचिन कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

5-हो0गा0 318 विरेन्द्र प्रताप सिंह थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।



प्रेस नोट
थाना बिनौली

दिनांक 24.02.2023

थाना बिनौली पुलिस ने एक वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा एक वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्त का नाम पता-

हरपाल पुत्र अलमे निवासी ग्राम बिजवाडा थाना बिनौली जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-प्र०नि० श्री सलीम अहमद थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 2- उ०नि० श्री राजीव कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 3-है०का० 109 नरेन्द्र कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 4- का० 171 सोहनपाल थाना बिनौली जनपद बागपत ।



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत दिनांक 24.02.2023

थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 1100/2022 धारा 420/467/468/471 भादवि में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 05.12.2022 को थाना कोतवाली बागपत पर वादी श्री यासीन पुत्र नयीम निवासी गांधी बाजार कस्बा बागपत ने तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1.मोहसीन व 2.दानिश जनसेवा केन्द्र बागपत द्वारा कूटरचित तरीके से प्रपत्र तैयार कर अपनी बुआ के लडके नावेद पुत्र इकबाल (मृतक) के पैनकार्ड व ड्राईविंग लाईसेन्स पर अपने भाई मोहसीन का फोटो



लगाकर फर्जी पैन कार्ड व ड्राईविंग लाईसेन्स तैयार किया गया तथा उक्त फर्जी प्रपत्रों से बैंको में नौकरी की । इस संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 1100/2022 धारा 420/467/468/471 भादवि पंजीकृत किया गया था ।

कार्यवाही:-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 1100/2022 धारा 420/467/468/471 भादवि में वांछित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

मोहसीन पुत्र अब्दुल कय्यूम निवासी कोर्ट रोड कस्बा बागपत थाना कोतवाली
बागपत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-व0उ0नि0 श्री मधुरश्याम थाना कोतवाली बागपत ।

2-है0का0 325 शौकीन पाल थाना कोतवाली बागपत ।



प्रेस नोट

थाना बडौत

दिनांक 24.02.2023

थाना बडौत पुलिस ने कुमकुम मोदी स्कूल की गाडी पर फायरिंग करने वाले 03 छात्रों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक अवैध तमंचा .315 बोर मय एक जिंदा व एक खोखा कारतूस .315 बोर बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 23.02.2023 को थाना बडौत पर वादी अजय कुमार पुत्र एस.के. शर्मा प्रधानाचार्य कुमकुम मोदी स्कूल कस्बा व थाना बडौत ने सूचना दी कि छात्रों 1.तरुण पुत्र सुनील निवासी ग्राम मलकपुर थाना बडौत, 2.सक्षम पुत्र चश्मवीर व 3.राहुल उर्फ गोल्हा पुत्र देवेन्द्र निवासी ग्राम राजपुर खामपुर थाना बडौत द्वारा कुमकुम मोदी स्कूल की गाडी के ऊपर जान से मारने की नियत से तमंचे से फायर किया गया । इस संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बडौत पर मु0अ0सं0 161/23 धारा 307 भादवि पंजीकृत किया गया।



उपरोक्त अभियोग में विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर धारा 35 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट की वृद्धि की गयी ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा कुमकुम मोदी स्कूल की गाडी पर फायरिंग करने वाले 03 छात्रों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ है।

उपरोक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना बडौत पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार छात्रों का नाम व पता-

- 1-तरुण पुत्र सुनील निवासी ग्राम मलकपुर थाना बडौत जनपद बागपत।
- 2-सक्षम पुत्र चश्मवीर निवासी ग्राम राजपुर खामपुर थाना बडौत जनपद बागपत।
- 3-राहुल उर्फ गोल्हा पुत्र देवेन्द्र निवासी ग्राम राजपुर खामपुर थाना बडौत जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- घटना में प्रयुक्त एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस .315 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-व0उ0नि0 श्री महेन्द्र सिंह चौहान थाना बडौत।
- 2-उ0नि0 श्री दीपक कुमार थाना बडौत।
- 3-है0का0 437 बलजीत थाना बडौत।
- 4-का0 135 पुष्पेन्द्र सिंह थाना बडौत।
- 5-का0 402 विशाल पुनिया थाना बडौत।



प्रेस नोट

थाना बिनौली

दिनांक 24-02-2023

थाना बिनौली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 48/23 धारा
147/148/323/324/307/452/504/506 भादवि से सम्बन्धित एक अभियुक्त को
किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 23.02.2023 को थाना बिनौली पर वादिया ने सूचना दी कि अभियुक्तगण 1.सचिन, 2.हरेन्द्र पुत्र राजबीर सिंह, 3.भूपेन्द्र उर्फ नीटू पुत्र उदयराज निवासी सिरसली थाना बिनौली जनपद बागपत व 02 अज्ञात महिलाओं द्वारा एक राय होकर वादिया के घर में घुसकर वादिया व वादिया के पति के साथ गाली-गलौच करते हुए धारदार हथियार से जान से मारने की नियत



से मारपीट की, जिससे वादिया का पति गम्भीर रूप से घायल हो गया । इस संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बिनौली पर मु0अ0सं0 48/23 धारा 147/148/323/324/307/452/504/506 भादवि पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 48/23 धारा 147/148/323/324/307/452/504/506 भादवि से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

हरेन्द्र पुत्र स्व0 राजबीर निवासी सिरसली थाना बिनौली जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- प्र0नि0 श्री सलीम अहमद थाना बिनौली ।
- 2- उ0नि0 श्री विकास कुमार थाना बिनौली ।
- 3- है0का0 109 नरेन्द्र कुमार थाना बिनौली ।
- 4- का0 171 सोहनपाल सिंह थाना बिनौली ।



प्रेस नोट
थाना खेकडा दिनाँक 24.02.2023

**थाना खेकडा पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 72/23 धारा 452/504/354ख/506
भादवि व 3(1)द,ध एससी/एसटी एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त को किया
गिरफ्तार ।**

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 72/23 धारा 452/504/354ख/506 भादवि व 3(1)द,ध एससी/एसटी एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

विपिन पुत्र चरण सिंह निवासी मौ0 लाइनपार कस्बा व थाना खेकडा जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ०नि० मौ० आसिफ ।

2-का० 447 पंकज कुमार ।



प्रेस नोट

थाना खेकडा

दिनांक 24.02.2023

थाना खेकडा पुलिस ने थाना कोतवाली बागपत के मु०अ०सं० 1040/22 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित/गैंगस्टर अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा थाना कोतवाली बागपत के मु०अ०सं० 1040/22 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

तुषार पुत्र प्रवीण निवासी ग्राम बसी थाना खेकडा जनपद बागपत ।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

- 1- मु०अ०सं० 25/22 धारा 392/411 भादवि थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 2- मु०अ०सं० 13/22 धारा 414/420 भादवि थाना खेकडा जनपद बागपत ।
- 3- मु०अ०सं० 1040/22 धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
- 4- मु०अ०सं० 15/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना खेकडा जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.उ०नि० श्री कैलाश चन्द ।

2.है०का० 497 राधेश्याम ।